



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220189
CG-DL-E-26062020-220189

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1838]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942

No. 1838]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2075(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के तहत जारी किए गए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 606(अ) दिनांक 2nd फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 116B का नन्दकुमार-कौंटाई-दीघा-चन्दनेश्वर सड़क (0.000 कि.मी. से 90.775 कि.मी.) और कौंटाई बाइपास (3.30 कि.मी.) के साथ (कुल लम्बाई 94.075 कि.मी.) 2-लेन पक्के शोल्डर विन्यास में पुनर्वासव उन्नयन के संबंध में मौजूदा कि.मी. 5.000 से कि.मी. 58.000 तक के भीतर में कुछ अनउपलब्ध भूमि के अर्जन हेतु के भूखण्ड का मांगरिखन, निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 19 फरवरी, 2020, को "द टाइम ऑफ़ इंडिया" और "वर्तमान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि उक्त अधिनियम में निर्धारित अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

इसलिए, अब सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए ;

और इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण एतद्वारा में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 116B के पुनर्वास एवं उन्नत कर 2 लेन पक्के शोल्डर्स हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग - 116B के 5.000 से कि.मी. 58.000 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पुरबा मेदिनीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नंदीग्राम-III				
	गांव का नाम: उस्मानपुर (जे.एल.नं.-44)				
1	LR 676	निजी	जल	0.0202347	अनंता कुमार मिश्रा , पिता - धीरेन्द्र और अन्य ()
2	LR 676 / 720	निजी	वास्तु	0.0161878	शशांक सेखर मिश्रा, पिता - राम और अन्य ()
3	LR 677	निजी	वास्तु	0.0242817	नारुगोपाल मिश्रा, पिता-धनंजय और अन्य ()
			कुल	0.0607042	

[फ. सं. RW/NH/12012/26/2018/WB-KOL/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2075(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 600 (E), dated the 6th February 2020, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act,) the Central government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the notification for rehabilitation and Upgradation to 2-Lane with Paved Shoulders Configuration of Nandakumar-Contai-Digha-Chandaneshwar Road (0.000 Km. To 90.775 Km) along with Contai Bye-pass (3.30 Km.) (Total length 94.075 Km.) of NH-116B in the State of West Bengal - for acquisition of some missing plots between the stretch of land from existing Km 5.0 to Km 58.000 of National Highway No. 116B in the District of Purba Medinipur, West Bengal;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Times of India*” and “*Bartaman Patrika*” both dated on **19.02.2020** under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received by the Competent Authority during the period as stipulated in the said Act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt on the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 5.000 to KM 58.000 of the NH116B in the state of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL		District: PURBA MEDINIPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nandigram -III				
	Viilage: Osmanpur (J.L. No. -044)				
1	LR 676	Private	Jal	0.0202347	ANANTA KUMAR MISHRA, S/O, DHIRENDRA & OTHERS
2	LR 676 / 720	Private	BASTU	0.0161878	SASANKA SEKHAR MISHRA, S/O, RAM & OTHERS
3	LR 677	Private	Bastu	0.0242817	NARUGOPAL MISHRA, S/O, DHANANJOY & OTHERS
			TOTAL	0.0607042	

[F. No. RW/NH/12012/26/2018/WB-KOL/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.